संख्या 15 (2) एफसी/ एफसीडी/ 2020-25

वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग

वित्त आयोग प्रभाग

ब्लॉक सं. 11, 5वीं मंजिल,
सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड,
नई दिल्ली -110003

दिनांक:-14 /07/2021

सेवा में

मुख्य सचिव,
(*सभी राज्य सरकारें*)

विषय:- वर्ष 2021-22 से 2025-26 की अवधि के दौरान ग्रामीण स्थानीय निकायों के अनुदानों पर पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए जारी परिचालन दिशानिर्देश।

महोदय,

पंद्रहवें वित्त आयोग (FC-XV) की अवार्ड (पंचाट) अवधि 2021-22 से 2025-26 के लिए सिफारिशों में अन्य बातों के साथ-साथ, ग्रामीण स्थानीय निकायों हेतु राज्य सरकारों को अनुदान सहायता जारी करना भी शामिल है।

2. इस संबंध में, अधोहस्ताक्षरी को **ग्रामीण स्थानीय निकायों** के लिए पंद्रहवें वित्त आयोग (FC-XV) द्वारा अनुशंसित अनुदानों को जारी करने और उनके उपयोग के लिए दिशानिर्देशों की एक प्रति सूचना और आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए अग्रेषित करने का निदेश दिया गया है।

भवदीय,

संलग्न: यथोपरि

(अभय कुमार)
निदेशक (एफसीडी)

प्रति:-

(i) सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।
(ii) सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली।

सं. 15(2) एफसी-एक्सवी/एफसीडी/2020-25
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग
(वित्त आयोग प्रभाग)

. . . .

पंद्रहवें वित्त आयोग (FC-XV) की रिपोर्ट (स्थानीय शासनों को सशक्त बनाना) के अध्याय 7 में ग्रामीण स्थानीय निकायों (यूएलबी) हेतु अनुदानों के लिए की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए परिचालन दिशानिर्देश

<u>परिचय</u>

पंद्रहवें वित्त आयोग (FC-XV) ने अपनी अंतिम रिपोर्ट के अध्याय 7 (खंड-I) 'स्थानीय शासनों को सशक्त बनाना' में स्थानीय शासनों के लिए 2021-22 से 2025-26 की अवार्ड (पंचाट) अवधि के लिए कुल 4,36,361 करोड़ रुपये के अनुदान की सिफारिश की है। इसमें से 2,36,805 करोड़ रुपये ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी) के लिए और 43,928 करोड़ रुपये पंचायती राज संस्थानों की देखरेख में ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे और सुविधाओं को मजबूत बनाने के लिए अनुशंसित किए गए हैं। पंद्रहवें वित्त आयोग ने अपनी अंतिम रिपोर्ट के खंड-II में ग्रामीण स्थानीय निकाय अनुदानों के विभिन्न घटकों के तहत वर्ष-वार और राज्य-वार आवंटन भी प्रदान किया है।

संघ सरकार ने '2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए अपनी रिपोर्ट में पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों पर की गई कार्रवाई के बारे में व्याख्यात्मक ज्ञापन' के माध्यम से, अन्य बातों के साथ-साथ अध्याय 7 'स्थानीय शासनों को सशक्त बनाना' में पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है।

2. <u>अनुशंसित अनुदान:-</u>

पंद्रहवें वित्त आयोग (FC-XV) ने 2021-26 की अवधि के लिए 28 राज्यों में विधिवत रूप से गठित ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी) के लिए कुल 2,36,805 करोड़ रुपये की सिफारिश की है, जिसमें वे क्षेत्र भी शामिल है जहाँ पंचायतों (पांचवीं और छठी अनुसूची के क्षेत्रों और अपवर्जित क्षेत्रों) के गठन की अपेक्षा नहीं की गई है। पंचायती राज संस्थानों के लिए निमित्त (earmarked) कुल अनुदान में से, 60 प्रतिशत पेयजल आपूर्ति, वर्षा जल संचयन और स्वच्छता (जिसे इसके बाद **आबद्ध अनुदान** कहा गया है) जैसी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के लिए निमित्त किया गया है, जबकि 40 प्रतिशत अनाबद्ध अर्थात शर्त रहित है जिसका उपयोग नीचे दिए गए घटक-वार विवरण के अनुसार मूलभूत सेवाओं में सुधार के लिए पंचायती राज संस्थानों के विवेक पर किया जाना है;

<u>अनाबद्ध अनुदान:-</u> पंद्रहवें वित्त आयोग ने अनुलग्नक-I में दिए गए राज्य-वार और वर्ष-वार विवरण के अनुसार अनाबद्ध (बुनियादी) अनुदान के रूप में 94,721 करोड़ रुपये (कुल आरएलबी अनुदान का 40%) की सिफारिश की है।

<u>आबद्ध अनुदान:-</u> पंद्रहवें वित्त आयोग ने अनुलग्नक-II में दिए गए राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरे के अनुसार आबद्ध अनुदान के रूप में कुल 1,42,083 करोड़ रुपये की सिफारिश की है, जिसमें से (i) 71,042 करोड़ रुपये (कुल आरएलबी आबद्ध अनुदान का 30%) **'पेयजल, वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण'** के लिए निमित्त किए जाएंगे और (ii) 71,042 करोड़ रुपये (कुल आरएलबी आबद्ध अनुदान का 30%) **'स्वच्छता और ओडीएफ स्थिति को कायम रखना, और घरेलू अपशिष्ट का प्रबंधन एवं शोधन, विशेष रूप से मानव मल एवं मल कीचड़ प्रबंधन'** के लिए निमित्त किए जाएंगे।

तथापि, यदि किसी आरएलबी ने कोई भी एक श्रेणी की आवश्यकताओं को पूर्ण रूप से पूरा कर लिया है और उस प्रयोजन के लिए निधियों की अब कोई आवश्यकता नहीं है, तो वह दूसरी श्रेणी की आवश्यकताओं के लिए निधियों का उपयोग कर सकता है। इस तरह की परिपूर्णता (saturation), संबंधित ग्राम विधानसभा/ग्राम सभा द्वारा प्रमाणित की जाएगी और पंचायतों या राज्य सरकार के पर्यवेक्षण प्राधिकारी द्वारा इसकी विधिवत पुष्टि की जाएगी।

3. <u>राज्यों द्वारा आरएलबी अनुदान का वितरण :-</u>

(i) पंद्रहवें वित्त आयोग ने ग्रामीण स्थानीय निकाय अनुदान पंचायतों के सभी स्तरों अर्थात ग्राम पंचायत, ब्लॉक/तालुक पंचायत और डिस्ट्रिक्ट/जिला पंचायतों को और उन क्षेत्रों को वितरित करने की सिफारिश की है जहाँ पंचायतों (पांचवीं और छठी अनुसूची क्षेत्रों और अपवर्जित क्षेत्रों) के गठन की अपेक्षा नहीं की गई है। सभी स्तरों के बीच पारस्परिक वितरण, संबंधित राज्य सरकार द्वारा नवीनतम राज्य वित्त आयोग (एसएफसी) की स्वीकृत सिफारिशों के आधार पर और निम्नलिखित बैंडों के अनुरूप किया जाएगा;

वितरण के लिए रेंज	ग्राम पंचायतें	ब्लॉक पंचायतें	जिला पंचायतें
न्यूनतम	70%	10%	5%
अधिकतम	85%	25%	15%

जिन राज्यों में केवल ग्राम पंचायत और जिला पंचायत के साथ दो स्तरीय प्रणाली है, वहां आवंटन निम्नलिखित बैंड में होगा;

वितरण के लिए रेंज	ग्राम पंचायतें	जिला पंचायतें
न्यूनतम	70%	15%
अधिकतम	85%	30%

तथापि, यदि एसएफसी सिफारिशें उपलब्ध नहीं हैं, तब सभी स्तरों के बीच परस्पर वितरण का निर्णय संबंधित राज्य सरकार द्वारा ऊपर बताए गए बैंड के भीतर किया जाएगा।

(ii) प्रत्येक स्तर के लिए राज्य-स्तरीय अनुदान निर्धारित हो जाने के बाद, राज्य भर में संबंधित संस्थाओं के बीच अंतर-स्तरीय वितरण जनसंख्या (2011 की जनगणना के अनुसार) और क्षेत्र के आधार पर 90:10 के अनुपात में या नवीनतम एसएफसी की स्वीकृत सिफारिशों के अनुसार होगा।

(iii) सभी संस्थाओं के अनुदान का चरण-वार वितरण और वितरण के लिए अपनाई जाने वाली विस्तृत कार्यप्रणाली नीचे दी गई है;

चरण-I:- संविधान के भाग IX और IXA के दायरे से छूट प्राप्त राज्य में अपवर्जित क्षेत्रों के लिए अनुदानों के आवंटन के संबंध में, संबंधित राज्य सरकार जनसंख्या के लिए 90% (2011 की जनगणना के अनुसार) और क्षेत्र के लिए 10% के भारांक के आधार पर आवंटन करेगी। *<u>संबंधित राज्य सरकार पांच वर्ष की अवार्ड अवधि में किसी एक वर्ष में राज्य को देय कुल आरएलबी अनुदान में से इन क्षेत्रों को वर्ष-वार अनुदान अवार्ड अवधि की शुरुआत अर्थात 2021-22 में ही आवंटित करेगा (अनुलग्नक-1 और 11 में दिए गए वर्ष-वार आवंटन के अनुसार) तथा उसकी सूचना व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय को देगा।</u>*

चरण-II:- राज्य सरकारें पैरा 3 (i) में दिए गए निर्देशों के अनुसार **पंचायतों के सभी स्तरों की पारस्परिक हिस्सेदारी** आकलित करेंगी और राज्य भर में संबंधित संस्थाओं के बीच **अंतरा-स्तरीय वितरण** (प्रत्येक स्तर के भीतर) उपर्युक्त पैरा 3 (ii) में दिए गए निर्देशों के अनुसार करेंगी।

चरण-III:- राज्य सरकारें (राज्य वित्त विभाग) व्यय विभाग (वित्त आयोग प्रभाग), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार (जिसे इसके बाद संघ सरकार कहा गया है) से प्राप्त आरएलबी अनुदानों की प्रत्येक किस्त सभी संबंधित संस्थाओं [जीपी/ बीपी/ जिला परिषद और अपवर्जित क्षेत्र, यदि कोई हो] को पीएफएमएस प्लेटफॉर्म या पीएफएमएस के साथ एकीकृत ई-गवर्नेंस प्रणाली पर अपने नोडल विभाग को सूचना देते हुए **चरण- I** और **चरण-II** में आकलित की गई हिस्सेदारी के अनुसार बिना किसी कटौती के हस्तांतरित करेंगी।

4. <u>अनुदान जारी करने के तौर-तरीके:-</u>

(i) <u>बुनियादी अनुदान:-</u> बुनियादी अनुदान अर्थात कुल आवंटन का 40% निर्धारित प्रारूप (अनुलग्नक- III) में अनुदान हस्तांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त होने और पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर), भारत सरकार से सिफारिश प्राप्त करने तथा पैरा 5 (ए) में दी गई निर्धारित शर्तों को पूरा करने के बाद केंद्र सरकार द्वारा दो किस्तों में जारी किया जाएगा।

(ii) <u>आबद्ध अनुदान:-</u> आबद्ध अनुदान अर्थात आवंटन का 60% पेयजल और स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार से सिफारिश प्राप्त होने और पैरा 5 में ऊपर दी गई निर्धारित शर्तों को पूरा करने के बाद केंद्र सरकार द्वारा दो किस्तों में भी जारी किया जाएगा।

(iii) *अवार्ड अवधि के दौरान वर्ष की पहली किस्त उन निकायों के लिए जून माह में राज्य को जारी की जाएगी, जिन्होंने पैरा 5 में नीचे उल्लिखित शर्तों का अनुपालन किया है। दूसरी किस्त, पहली किस्त के अनुदान हस्तांतरण प्रमाणपत्र प्राप्त होने और पिछले वर्ष के दौरान हस्तांतरित निधियों का कम से कम 50% उपयोग होने पर अक्टूबर में जारी की जाएगी। हालांकि, कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान सामान्य जीवन में व्यवधान के कारण आ रही कठिनाइयों को स्वीकार करते हुए,* ***वर्ष 2021-22 की पहली किस्त जारी करने के लिए*** *नीचे निर्धारित शर्तों में* ***इस हद तक ढील दी जाएगी कि इन सभी शर्तों का आकलन, वर्ष 2021-22 की दूसरी किस्त जारी करने के दौरान किया जाएगा (आबद्ध और अनाबद्ध दोनों अनुदानों के लिए)।***

5. <u>अनुदान जारी करने के लिए पात्रता शर्तें:-</u> उपर्युक्त पैरा 2 में वर्णित अनुदान, संघ सरकार द्वारा पैरा 4 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रत्येक घटक के लिए नीचे दी गई शर्तों की पूर्ति के अधीन जारी किए जाएंगे;

(क) अनाबद्ध और आबद्ध अनुदान जारी करने के लिए:-

(i) अनुदान-प्राप्त करने हेतु पात्र होने के लिए, आरएलबी को अनुदान प्राप्त करने के लिए प्रवेश स्तर की शर्तों के रूप में पिछले वर्ष के अनंतिम लेखा और पिछले से पिछले वर्ष के लेखापरीक्षित लेखा दोनों को तैयार करके अनिवार्य रूप से ऑनलाइन उपलब्ध कराना होगा। तथापि, वर्ष 2021-22 और 2022-23 के लिए, राज्यों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि कम से कम 25 प्रतिशत आरएलबी के पास पिछले वर्ष के अनंतिम लेखा और पिछले से पिछले वर्ष के लेखापरीक्षित लेखा उपलब्ध हैं जिन्हें उन्होंने एमओपीआर ईग्रामस्वराज और ऑडिट ऑनलाइन के अलावा, सार्वजनिक डोमन में उपलब्ध कराया हो ताकि वे उक्त वर्ष में पूर्ण अनुदान प्राप्त करने के लिए पात्र बन जाएं। वर्ष 2023-24 से आगे के लिए, सभी आरएलबी के पास पिछले वर्ष के अनंतिम लेखा और पिछले से पिछले वर्ष के लेखापरीक्षित लेखा उपलब्ध हैं जिन्हें उन्होंने एमओपीआर ईग्रामस्वराज और ऑडिट ऑनलाइन के अलावा, सार्वजनिक डोमन में उपलब्ध कराया हो ताकि वे उक्त वर्ष में पूर्ण अनुदान प्राप्त करने के लिए पात्र बन जाएं। ऐसा न करने पर अनुदान इन शर्तों का अनुपालन करने वाले निकायों की संख्या के आधार पर यथानुपात (pro-rata) आधार पर जारी किए जाएंगे। एमओपीआर सीएजी के परामर्श से ई-ग्रामस्वराज/ऑडिट ऑनलाइन में अपलोड करने के लिए लेखापरीक्षित और अनंतिम लेखाओं के अपेक्षित प्रारूप तैयार कर सकता है।

(ii) आरएलबी को उपर्युक्त पैरा 2 में वर्णित अनुदान जारी करने के लिए पात्र माना जाएगा, यदि ग्रामीण निकायों का विधिवत गठन किया गया हो अर्थात यदि उन राज्यों/क्षेत्रों को छोड़कर, जहाँ संविधान का भाग IX लागू नहीं होता है, विधिवत निर्वाचित निकाय मौजूद हैं। यदि सभी निकाय विधिवत गठित नहीं किए गए हैं, तो राज्य को अनुदान केवल विधिवत गठित किए गए निकायों के लिए यथानुपात आधार पर जारी किया जाएगा।

(iii) पंद्रहवें वित्त आयोग ने सिफारिश की है कि जिन राज्यों ने ऐसा नहीं किया है, उन्हें राज्य वित्त आयोग (एसएफसी) का गठन करना चाहिए, उनकी सिफारिशों के अनुसार कार्य करना चाहिए और मार्च 2024 को या उससे पहले राज्य विधानमंडल के समक्ष उस पर की गई कार्रवाई का व्याख्यात्मक ज्ञापन प्रस्तुत करना चाहिए। मार्च 2024 के बाद, ऐसे राज्य को कोई अनुदान जारी नहीं किया जाएगा जिसने एसएफसी और इन शर्तों के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया है।

(ख) आबद्ध अनुदानों को जारी करने के लिए:- ग्रामीण स्थानीय निकायों को आबद्ध अनुदान जारी करने के लिए तब पात्र माना जाएगा जब पेयजल और स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार (डीडीडब्ल्यूएस) निम्नलिखित मुख्य शर्तों को पूरा करने की अपेक्षा से संतुष्ट होगा:

(i) डीडीडब्ल्यूएस द्वारा विनिर्दिष्ट प्रारूप में आरएलबी द्वारा स्वच्छता और पेयजल आपूर्ति के लिए गांव/ ब्लॉक/ जिलों की वार्षिक कार्य योजना के विवरणों सहित जीपीडीपी/ बीडीपी/ डीडीपी को ई-ग्रामस्वराज में (या डीडीडब्ल्यूएस-आईएमआईएस के माध्यम से) अपलोड करना। पेयजल आपूर्ति के लिए वार्षिक कार्य योजना में निम्नलिखित सन्निहित होगा- पेयजल की आपूर्ति, वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण के बारे में विवरण। स्वच्छता के लिए वार्षिक कार्य योजना में निम्नलिखित सन्निहित होगा - खुले में शौच से मुक्त की स्थिति और उसे कायम रखना तथा स्थानीय निकाय में एसएलडब्ल्यूएम पहलों का नियोजन एवं कार्यान्वयन।

(ii) वेबसाइट पर 15वें वित्त आयोग की निधियों [दोनों घटक] के उपयोग के बारे में विवरण अपलोड करना।

(iii) कोई भी अन्य शर्तें, जो डीडीडब्ल्यूएस, आबद्ध अनुदान के घोषित उद्देश्य के संबंध में उपयुक्त समझे।

6. राज्य सरकार द्वारा अनुदान का हस्तांतरण:-

पंद्रहवें वित्त आयोग (पंद्रहवें वित्त आयोग) को अन्य कार्यों के साथ-साथ राज्य में पंचायतों और नगर पालिकाओं के संसाधनों की पूर्ति के लिए राज्यों की समेकित निधि को बढ़ाने हेतु आवश्यक उपायों की सिफारिश करने का कार्य सौंपा गया था। अतएव, पंद्रहवें वित्त आयोग (एफसी- एक्सवी) द्वारा केंद्र सरकार से अनुशंसित अनुदान प्राप्त होने पर राज्य सरकारों को उसे केवल दस कार्य दिवसों के भीतर संबंधित ग्रामीण स्थानीय निकायों/अपवर्जित क्षेत्रों को हस्तांतरित करना होगा। 10 कार्य दिवसों से परे किसी भी देरी हेतु राज्य सरकारों को पिछले वर्ष के लिए बाजार उधार/राज्य विकास ऋण (एसडीएल) पर ब्याज की औसत प्रभावी दर के अनुसार विलंब अवधि के लिए ब्याज के साथ अनुदान जारी करना होगा। सहजता और परिचालनीय सुविधा के लिए, स्थानीय निकाय पंद्रहवें वित्त आयोग अनुदान के लिए एक अलग बैंक खाता खोल सकते हैं और ईग्रामस्वराज-पीएफएमएस इंटरफेस के साथ इंटरलिंकिंग सहित सभी प्रकार के लेनदेन के लिए उसका उपयोग कर सकते हैं।

अनुदान की अगली किस्त की पात्रता हेतु, राज्य सरकार के लिए अनिवार्य है कि वह अनाबद्ध अनुदान के लिए पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) को अनुदान हस्तांतरण प्रमाणपत्र (जीटीसी) प्रस्तुत करे और आबद्ध अनुदान के लिए पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार को प्रमाणपत्र प्रस्तुत करे, और दोनों जीटीसी की प्रतियां साथ वित्त आयोग प्रभाग, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय को भेजे।

7. पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित स्थानीय निकाय अनुदान का उपयोग

(i) बुनियादी अनुदान:- बुनियादी अनुदान अनाबद्ध हैं और उनका उपयोग वेतन तथा अन्य स्थापना लागतों को छोड़कर, संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में निहित उनतीस विषयों के तहत ग्रामीण स्थानीय निकायों द्वारा किया जा सकता है। तथापि, राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित बाह्य एजेंसियों द्वारा लेखाओं की लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक व्यय इस अनुदान से वहन किया जा सकता है।

(ii) आबद्ध अनुदान:- आबद्ध अनुदानों का 50% (क) स्वच्छता और खुले में शौच से मुक्त स्थिति को कायम रखने की बुनियादी सेवाओं के लिए उपयोग किया जा सकता है, और इसमें घरेलू अपशिष्ट का प्रबंधन एवं शोधन, विशेष रूप से मानव मल और मल कीचड़ प्रबंधन तथा शेष 50% (ख) पेयजल की आपूर्ति, वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण शामिल किया जाना चाहिए। स्थानीय निकाय, जहाँ तक संभव हो, इन **आबद्ध अनुदानों** में से प्रत्येक को इन दोनों महत्वपूर्ण सेवाओं के लिए **आधा-आधा हिस्सा** निमित्त करेंगे। तथापि, यदि किसी आरएलबी ने कोई भी एक श्रेणी में निहित आवश्यकताओं को पूर्ण रूप से पूरा कर लिया है और उस प्रयोजन के लिए निधियों की अब कोई आवश्यकता नहीं है, तो वह दूसरी श्रेणी में निहित आवश्यकताओं के लिए निधियों का उपयोग कर सकता है। इस तरह की परिपूर्णता, संबंधित ग्राम सभा द्वारा प्रमाणित की जाएगी और पंचायतों या राज्य सरकार के पर्यवेक्षण प्राधिकारी द्वारा उसकी पुष्टि की जाएगी। यदि किसी गांव/ ग्राम पंचायत/ ब्लॉक के भीतर निवासियों/ परिवारों को राज्य/ केन्द्र सरकार/ पूर्व में कार्यान्वित विभिन्न योजनाओं के प्रयासों के फलस्वरूप पेयजल उपलब्ध है, तो ऐसी पंचायतें मौजूदा जल आपूर्ति अवसंरचना को बनाए रखने के अलावा वर्षा जल संचयन, जल पुनर्चक्रण/जल निकायों के पुनरुद्धार जैसे अन्य उप-घटकों के लिए निधियों का उपयोग करेंगी।

8. लेखांकन एवं लेखापरीक्षा:- वर्ष 2021-22 से, सभी ग्रामीण स्थानीय निकाय ईग्रामस्वराज पर **पंद्रहवें वित्त आयोग अनुदानों** से संबंधित अपने लेखा ऑनलाइन अनुरक्षित करेंगे और विक्रेताओं/सेवा प्रदाताओं को भुगतान भी ईग्रामस्वराज-पीएफएमएस इंटरफ़ेस के माध्यम से करेंगे। इसके अलावा, एमओपीआर के 'ऑडिट ऑनलाइन' एप्लिकेशन पर वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा भी कराई जानी है। वर्ष 2023-24 से, राज्यों को उन निकायों के लिए आरएलबी अनुदान प्राप्त होगा जिनके पास पिछले वर्ष के अनंतिम लेखा और पिछले से पिछले वर्ष के लेखापरीक्षित लेखा, दोनों ऑडिट ऑनलाइन पर उपलब्ध हैं। इसलिए, इस विषय पर संबंधित अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए तथा पीएफएमएस में खाता खोलने/पीएफएमएस के साथ उसके एकीकरण के लिए 2021-22 के दौरान ही आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

9. पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित निधियों का अभिसरण:- पंद्रहवें वित्त आयोग ने 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए अपनी अंतिम रिपोर्ट के अध्याय 7 में अन्य बातों के साथ-साथ, मूलभूत सेवाओं सेवाएं, जो सभी के लिए पेयजल, स्वच्छता आदि जैसी राष्ट्रीय प्राथमिकताएं हैं, उपलब्ध कराने और उन्हें सुदृढ़ करने के लिए आबद्ध अनुदानों की सिफारिश की है। भारत सरकार ने भी इसी तरह के परिणामों के उद्देश्य से कुछ योजनाएं शुरु की हैं, जैसे कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण (एसबीएम-जी), जल जीवन मिशन, आदि। इन योजनाओं से प्राप्त उपलब्धियों को कायम रखने के लिए, तीनों सरकारी स्तरों को सहकारी संघवाद की भावना को ध्यान में रखते हुए मिलकर कार्य करने की जरूरत है। इसलिए, ग्रामीण स्थानीय निकाय समान परिणामों और अधिकार क्षेत्र सहित केंद्र सरकार द्वारा सहायता प्राप्त किसी भी अन्य योजना के साथ आबद्ध अनुदान घटकों का उपयोग कर सकते हैं। इसका एकमात्र उद्देश्य संबंधित स्थानीय निकाय के अधिकार क्षेत्र के भीतर अधिकतम आबादी को कवर करना या इस उद्देश्य के लिए प्रस्तावित परिसंपत्तियों की गुणवत्ता में सुधार लाना है। तथापि, 15वें वित्त आयोग के अनुदान का उपयोग किसी विशेष योजना के लिए राज्य के हिस्से/योगदान के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। यद्यपि ग्राम पंचायतें उद्देश्यों/ लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों के दोहन हेतु आबद्ध अनुदान का उपयोग करेंगी, मगर उनका ब्लॉक या जिला पंचायत स्तर पर राष्ट्रीय योजनाओं के साथ अभिसरण से ऐसी योजनाओं के संचालन के साथ-साथ संसाधन हस्तांतरण में भी आसानी होगी। अतएव, ब्लॉक पंचायतें और जिला पंचायतें अपने-अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर इस तरह के अभिसरण की संभावना की खोज कर सकती हैं।

10. <u>भारत सरकार के पंचायती राय मंत्रालय (एमओपीआर) की भूमिका:-</u>

भारत सरकार का पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) अनाबद्ध अनुदान के लिए ग्रामीण स्थानीय निकायों की पात्रता निर्धारित करने हेतु एक नोडल मंत्रालय के रूप में कार्य करेगा। यह पैरा 5 (क) में उल्लिखित शर्तों के अनुपालन का मूल्यांकन करेगा और इस मूल्यांकन के आधार पर, वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग को अनुदान जारी करने की सिफारिश करेगा। चूंकि, पैरा 5 (क) में उल्लेखित अनुदानों को जारी करने की पात्रता शर्तें आबद्ध और अनाबद्ध अनुदानों, दोनों के लिए समान हैं, <u>इसलिए पंचायती राज मंत्रालय उन ग्रामीण स्थानीय निकायों/राज्यों के बारे में भी पेयजल एवं स्वच्छता विभाग को सूचित करेगा जिन्होंने पैरा 5 (ए) में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन किया है।</u> पंचायती राज मंत्रालय आरएलबी के संबंध में पंद्रहवें वित्त आयोग की शेष सिफारिशों के कार्यान्वयन की भी मॉनीटरिंग करेगा। पंचायती राज मंत्रालय आरएलबी को कार्य करने में तकनीकी मार्गदर्शन भी प्रदान करेगा ताकि आरएलबी निकाय पैरा 8 में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन करने में सक्षम हो सकें।

11. <u>पेयजल एवं स्वच्छता विभाग (डीडीडब्ल्यूएस) की भूमिका:-</u>

पेयजल और स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार (डीडीडब्ल्यू एण्ड एस) आबद्ध अनुदान के लिए ग्रामीण स्थानीय निकायों की पात्रता निर्धारित करने हेतु एक नोडल मंत्रालय के रूप में कार्य करेगा। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग उन निकायों/राज्यों के लिए व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय को आबद्ध अनुदान जारी करने की सिफारिश करेगा जिन्होंने पंचायती राज मंत्रालय से प्राप्त सूचना के आधार पर पैरा 5 (क) में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन किया हो और जिनका उपर्युक्त पैरा 5 (ख) में उल्लिखित शर्तों के अनुसार मूल्यांकन किया जा चुका हो। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग निधियों के विवकेपूर्ण उपयोग के लिए आबद्ध अनुदान घटक के कार्यान्वयन हेतु या योजनाओं/अपनाई जाने वाली प्रौद्योगिकी के लिए आरएलबी को तकनीकी मार्गदर्शन भी प्रदान करेगा।

12. <u>वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग की भूमिका:-</u>

नोडल मंत्रालयों अर्थात पंचायती राज मंत्रालय और पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय से सिफारिशें प्राप्त करने के उपरांत, व्यय विभाग (एफसीडी), वित्त मंत्रालय उपर्युक्त दिशानिर्देशों में निर्धारित सभी शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन संबंधित राज्यों को अनुदान की देय किस्त जारी करेगा। सभी अपवर्जित क्षेत्रों (जहाँ संविधान का भाग IX लागू नहीं होता है) सहित अनुसूची XI क्षेत्रों के लिए अनुदान पैरा 3 (चरण-I) में उल्लिखित इन क्षेत्रों के लिए राज्य सरकार द्वारा आवंटित अनुदान के आधार पर अलग से जारी किए जाएंगे।

13. 15वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अन्य अनुदान के बारे में:- 15वें वित्त आयोग ने 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए अपनी रिपोर्ट के अध्याय 7 में अन्य बातों के साथ-साथ, स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कुल 70,051 करोड़ रुपये के अनुदान की सिफारिश की है, जिसे स्थानीय शासन के माध्यम से भेजा जाएगा। इसमें से 43,928 करोड़ रुपये पंचायती राज संस्थानों की निगरानी में ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे और सुविधाओं को मजबूत बनाने के लिए आवंटित किए गए हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र अनुदानों के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय एक नोडल मंत्रालय है। 15वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित स्वास्थ्य क्षेत्र अनुदान को उचित समय पर जारी करने के लिए अलग से दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे।

14. व्यावृत्ति (Saving):- उपर्युक्त में जो कुछ भी उल्लेखित किया गया है उसके बावजूद, व्यय विभाग किसी भी अप्रत्याशित घटनाक्रम को कवर करने के लिए या किसी भी अत्यावश्यक स्थिति में कोई भी शर्तों/पूर्व-शर्तों में संशोधन/छूट देने का अधिकार रखता है।

*_*_*_*_*

अनुलग्नक-I

15वें वित्त आयोग द्वारा ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए अनुशंसित बुनियादी (अनाबद्ध) अनुदान (आरएलबी अनुदान का 40%)

(रु. करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	कुल
1	आंध्र प्रदेश	775.6	804	812.4	860.8	839.6	4092.4
2	अरुणाचल प्रदेश	68	70.8	71.6	75.6	74	360
3	असम	474.4	491.2	496.4	526	513.2	2501.2
4	बिहार	1483.6	1536.8	1553.6	1645.6	1604.8	7824.4
5	छत्तीसगढ़	430	445.6	450	476.8	465.2	2267.6
6	गोवा	22	22.8	23.2	24.8	24.4	117.2
7	गुजरात	944.8	978.4	989.2	1047.6	1022	4982
8	हरियाणा	374	387.2	391.6	414.4	404.4	1971.6
9	हिमाचल प्रदेश	126.8	131.6	132.8	140.8	137.2	669.2
10	झारखंड	499.6	517.2	522.8	554	540.4	2634
11	कर्नाटक	950.8	985.2	996	1054.8	1028.8	5015.6
12	केरल	481.2	498.4	504	533.6	520.4	2537.6
13	मध्य प्रदेश	1177.6	1220	1233.2	1306	1274	6210.8
14	महाराष्ट्र	1722.8	1784.4	1804	1910.4	1863.6	9085.2
15	मणिपुर	52.4	54	54.8	58	56.8	276
16	मेघालय	54	56	56.4	59.6	58.4	284.4
17	मिजोरम	27.6	28.4	28.8	30.4	29.6	144.8
18	नागालैंड	36.8	38.4	38.8	40.8	39.6	194.4
19	ओडिशा	667.6	691.2	698.8	740.4	722	3520
20	पंजाब	410.4	424.8	429.6	455.2	444	2164
21	राजस्थान	1141.6	1182.8	1195.6	1266.4	1234.8	6021.2
22	सिक्किम	12.4	13.2	13.2	14	13.2	66
23	तमिलनाडु	I 066.4	1104.4	1116.4	1182.8	1153.6	5623.6
24	तेलंगाना	546	566	572	605.6	590.8	2880.4
25	त्रिपुरा	56.4	58.8	59.2	62.8	61.2	298.4
26	उत्तर प्रदेश	2883.2	2986.4	3018.8	3197.6	3118.8	15204.8
27	उत्तराखंड	170	176	178	188.4	183.2	895.6
28	पश्चिम बंगाल	1304.4	1351.2	1366	1446.8	1411.2	6879.6
कुल		17960.4	18605.2	18807.2	19920	19429.2	94722

अनुलग्नक-II

15वें वित्त आयोग द्वारा ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए अनुशंसित आबद्ध अनुदान (आरएलबी अनुदान का 60%) (रु. करोड़ में)							
क्र.सं.	**राज्य**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**	**2025-26**	**कुल**
1	आंध्र प्रदेश	1163.4	1206	1218.6	1291.2	1259.4	6138.6
2	अरुणाचल प्रदेश	102	106.2	107.4	113.4	111	540
3	असम	711.6	736.8	744.6	789	769.8	3751.8
4	बिहार	2225.4	2305.2	2330.4	2468.4	2407.2	11736.6
5	छत्तीसगढ़	645	668.4	675	715.2	697.8	3401.4
6	गोवा	33	34.2	34.8	37.2	36.6	175.8
7	गुजरात	1417.2	1467.6	1483.8	1571.4	1533	7473
8	हरियाणा	561	580.8	587.4	621.6	606.6	2957.4
9	हिमाचल प्रदेश	190.2	197.4	199.2	211.2	205.8	1003.8
10	झारखंड	749.4	775.8	784.2	831	810.6	3951
11	कर्नाटक	1426.2	1477.8	1494	1582.2	1543.2	7523.4
12	केरल	721.8	747.6	756	800.4	780.6	3806.4
13	मध्य प्रदेश	1766.4	1830	1849.8	1959	1911	9316.2
14	महाराष्ट्र	2584.2	2676.6	2706	2865.6	2795.4	13627.8
15	मणिपुर	78.6	81	82.2	87	85.2	414
16	मेघालय	81	84	84.6	89.4	87.6	426.6
17	मिजोरम	41.4	42.6	43.2	45.6	44.4	217.2
18	नागालैंड	55.2	57.6	58.2	61.2	59.4	291.6
19	ओडिशा	1001.4	1036.8	1048.2	1110.6	1083	5280
20	पंजाब	615.6	637.2	644.4	682.8	666	3246
21	राजस्थान	1712.4	1774.2	1793.4	1899.6	1852.2	9031.8
22	सिक्किम	18.6	19.8	19.8	21	19.8	99
23	तमिलनाडु	1599.6	1656.6	1674.6	1774.2	1730.4	8435.4
24	तेलंगाना	819	849	858	908.4	886.2	4320.6
25	त्रिपुरा	84.6	88.2	88.8	94.2	91.8	447.6
26	उत्तर प्रदेश	4324.8	4479.6	4528.2	4796.4	4678.2	22807.2
27	उत्तराखंड	255	264	267	282.6	274.8	1343.4
28	पश्चिम बंगाल	1956.6	2026.8	2049	2170.2	2116.8	10319.4
कुल		26940.6	27907.8	28210.8	29880	29143.8	142083

अनुलग्नक-III

पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा अपनी अवार्ड अवधि 2021-22 से 2025-2026 के दौरान अनुशंसित ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए प्राप्त अनुदान का हस्तांतरण प्रमाण पत्र।

राज्य का नाम:-

I.	सामान्य क्षेत्रों के लिए	कुल सं.	जीपी		विधिवत निर्वाचित निकाय	जीपी	
			बीपी			बीपी	
			जेडपी			जेडपी	
2.	गैर-भाग IX क्षेत्र (उक्त स्वायत्त निकायों के नाम और संख्या दर्शाएं)				सं.	नाम	
3.	प्राप्त बुनियादी अनुदान/आबद्ध अनुदान का विवरण:	वर्ष	किस्त		राशि (लाख रु. में)	प्राप्ति की तिथि	
4.	हस्तांतरित बुनियादी अनुदान/आबद्ध अनुदान का विवरण*:	वर्ष	किस्त		राशि (लाख रु. में)	हस्तांतरण की तिथि	विलंब के दिनों की संख्या	विलंब होने पर, हस्तांतरित ब्याज राशि (ब्याज दर के साथ)
5.	क्या राज्य वित्त आयोग (एसएफसी) की सिफारिशें उपलब्ध हैं	हाँ/नहीं	यदि **हाँ**, तो क्या अनुदान जनगणना 2011 की जनसंख्या के अनुसार या एसएफसी अनुशंसा के अनुसार वितरित किया गया था।		यदि **नहीं**, तो क्या एसएफसी के गठन के लिए अधिसूचना जारी की गई है।		यदि हाँ, तो अधिसूचना की एक प्रति संलग्न करें और इस अधिसूचना की तिथि बताएं।
					हाँ/नहीं		00/00/202
6.	क्या 15वें एफसी अनुदान के लिए आरएलबी खाता सभी लेनदेन हेतु पीएफएमएस से जुड़ा हुआ है						हाँ/नहीं
7.	पिछले वर्ष के आरएलबी अनुदान का अब तक उपयोग किया गया प्रतिशत। (वर्ष 2021-22 में वर्ष 2020-21 की सूचना उपलब्ध करायें तथा आगामी वर्षों के लिए भी इसी प्रकार की व्यवस्था अपनायें।)				अनाबद्ध अनुदान के लिए		आबद्ध अनुदान के लिए
					[ ) %		[ ] %

* *जो भी लागू न हो उसे काट दें।*

यह प्रमाणित किया जाता है कि अनुदान का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया गया है/प्रस्तावित किया गया है जिसके लिए यह प्रदान किए गए हैं और यदि कोई विचलन पाया जाता है, तो उसे सूचित किया जाएगा।

सचिव (नोडल विभाग) की मुहर सहित हस्ताक्षर

प्रतिहस्ताक्षरित:
वित्त सचिव की मुहर सहित हस्ताक्षर

******